Revised
स्पीड पोस्ट
एवं ई–मेल

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. Press Clipping/3/2019(Jashpur, CG)/RU-III दिनांक: 24.05.2019

सिटिंग नोटिस

विषय: लाइनमैन श्री लालजीत साय की करंट से मौत, ग्राम–रजौटी, जिला – जशपुर, छत्तीसगढ़ के संबंध मे – "नई दुनिया न्यूज" में प्रकाशित समाचार (प्रतिलिपि संलग्न)

संदर्भ: आयोग का जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, जशपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 05/05/2019 ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 31–05–2019 को 12.30 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तद्नुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नही होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4.

4320-22
24/5/19

जारी
ISSU

(डा. ललित लट्टा) 24/5/2019
निदेशक
दूरभाष–24615012

सेवा में,

1. प्रबंध निदेशक,
   छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
   कमरा नं. 311, तीसरी मंजिल, विद्युत सेवा भवन, डागनिया,
   रायपुर – 492013
   (छत्तीसगढ़)

2. जिला कलेक्टर,
   जिला – जशपुर,
   (छत्तीसगढ़)

3. पुलिस अधीक्षक,
   जिला – जशपुर
   (छत्तीसगढ़)